## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 28 मार्च, 2005

सं. टीएएमपी/35/2004-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेश के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रशुल्क की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/35/2004-जे.एन.पी.टी.

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ...... आवेदक

## आदेश

(मार्च 2005 के 15वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के दरमान में निर्धारित समस्त पोत संबंधी प्रभारों की उच्चतम दरों में 10% की कमी करते हुए 10 अगस्त, 2004 को एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में इस प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ, पोत संबंधी प्रभारों के सिवाय, जेएनपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2005 तक का विस्तार प्रदान किया था और जेएनपीटी को यह निदेश दिया था कि वह अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे और यदि 31 जनवरी, 2005 तक जेएनपीटी से व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव नहीं प्राप्त हो जाता है तो उसके दरमान की एक पक्षीय समीक्षा कर दी जाएगी।

2.1 जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2005 के माध्यम से प्राधिकरण को नम्रतापूर्वक यह सूचित किया है कि वह अपना प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवा सका और उसने व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके साथ उसने प्राधिकरण से एक पक्षीय कार्यवाही आरम्भ न करे।

2.2 जेएनपीटी द्वारा उठाये गए विवाद के प्रमुख बिन्दुओं में से एक तटीय यातायात के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित रियायतों के बारे में हाल ही में की गई घोषणाओं के प्रभाव के बारे में और इसके द्वारा सरकार को राजस्व के उपयोग संभाग/इसके द्वारा बीओटी रियायतों से प्राप्य रायलटी आय के बारे में है। तटीय यातायात को रियायतों का पत्तन न्यास के राजस्व और जेएनपीटी के लागत मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, यह प्राधिकरण जेएनपीटी द्वारा मांगा गया समय-विस्तार प्रदान करने की इच्छा रखता है। 31 मार्च, 2005 की समय-सीमा करीब-करीब पहुँच ही गई है। यह ज्यादा व्यावहारिक होगा कि समय-सीमा 30 अप्रैल, 2005 तक स्वीकृत कर दी जाए, यद्यपि जेएनपीटी ने अपना प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 2005 तक का ही समय मांगा है।

4. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण जेएनपीटी के दरमान की एक-पक्षीय समीक्षा को 30 अप्रैल, 2005 तक स्थगित रखने का निर्णय लेता है और जेएनपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए 30 अप्रैल, 2005 तक प्रस्तुत करने का निदेश देता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असा.]